

राजस्थान सरकार  
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान अजमेर

क्रमांक एफ 7(109)जन/11-12/पार्ट-1A/1195-595 दिनांक: 23-1-12

1. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक)  
जयपुर।
2. समस्त उप महानिरीक्षक,  
पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक)  
राजस्थान।
3. समस्त उप पंजीयकगण।

विषय:- मुख्यारना आम पर अदा की गई स्टाम्प इयूटी की राशि के समायोजन के संबंध में।

प्रसंग:- शासन उप सचिव वित्त (कर) विभाग का पत्र क्रमांक प.2 (17)वित्त/कर/11 दिनांक 11.01.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि मुख्यारना आम पर अदा की गई स्टाम्प इयूटी की राशि के समायोजन के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.7(109)जन/11/3647 दिनांक 04.03.11 के द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया। शासन उप सचिव वित्त (कर) विभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र क्रमांक प.2(17)वित्त/कर/11 दिनांक 11.01.2012 निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

“उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के क्रम में विधि विभाग की राय के अनुसार लेख है कि पॉवर ऑफ अटोर्नी के अनुसरण में निष्पादित कन्वेन्स डी: चाहे स्वयं पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर के पक्ष में निष्पादित हो या उससे भिन्न व्यक्ति के पक्ष में दोनों स्थितियों में स्टाम्प इयूटी के समायोजन का लाभ देय होगा।

कृपया विधि विभाग की उक्त राय के अनुसार कार्यवाही करावे।”


राज्य सरकार के उपरोक्त मार्गदर्शन के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

भवदीय,

अतिरिक्त महानिरीक्षक,  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट [www.rajstamps.gov.in](http://www.rajstamps.gov.in) पर अपलोड हेतु।
3. रागरत कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
9. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त-जयपुर/जोधपुर।
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को पत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. रागरत आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
14. रागरत शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

  
 अतिरिक्त महानिरीक्षक,  
 पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
 राजस्थान, अजमेर